

कार्यालय— नगर पालिका परिषद भदोही, जनपद—भदोही

पत्रांक 1553 / न0पा0परि0भ0 / 2023-24

दिनांक 04.03.2024

अति सूक्ष्म अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

नगर पालिका परिषद भदोही में स्वीकृत "बोर्ड फण्ड व राज्य वित्त मद" के अन्तर्गत कार्य हेतु स्वायत्त निकाय/पब्लिक सेक्टर विभाग/राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/अन्य सरकारी विभाग में निर्धारित श्रेणी में कार्य की लागत के सीमा के अनुरूप पंजीकृत निविदादाताओं से ई-टेंडरिंग के माध्यम से प्रतिशत दर के आधार पर नीचे दर्शाये गये कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा की समस्त शर्तें बेबसाईट <http://etender.up.nic.in> पर दिनांक 05.03.24 से दिनांक 10.03.24 तक उपलब्ध रहेगी। निविदा के साथ अनुमानित धनराशि पर धरोहर धनराशि के रूप में आनलाईन एफ.डी.आर/एन.एस.सी. अधिशासी अधिकारी के पक्ष में बंधक हो देना अनिवार्य होगा तथा निविदा मूल्य (कार्य के समक्ष लिखे मूल्य का निकाय निधि के एस0बी0आई0 बैंक शाखा भदोही के खाता सं0 11193060148 जिसका आई0एफ0एस0सी0 कोड—SBIN0001088 में जमा कर UTR नम्बर अथवा पावती पत्र संलग्न कर देय होगा) के रूप में जो शर्तों में उल्लिखित समस्त प्रमाण पत्रों की छाया प्रति सहित स्वयं प्रमाणित कर दिनांक 10.03.24 तक E-tender आवेदन कर सकते हैं तदनुपरान्त प्राप्त निविदायें उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष दिनांक 11.03.24 को 02:00 बजे अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) भदोही के कार्यालय में खोली जायेगी। किसी कारण वश अवकाश होने पर निविदा तिथि अगला कार्य दिवस मानी जायेगी।

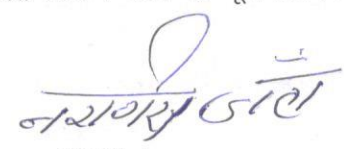
क्र0 सं0	कार्य/सामग्री का नाम	अनुमानित धनराशि (लाख में) GSTसहित	धरोहर धनराशि (लाख में)	निविदा शुल्क GST सहित	कार्यविधि
बोर्ड फण्ड मद -					
1	वार्ड नं0 01 कुशियरा नेशनल तिराहा के पास दीपू श्रीवास्तव के मकान से काका कार्पेट के सामने तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	1.30	0.13	1180	03 माह
2	वार्ड नं0 01 कुशियरा नेशनल तिराहा के पूरब श्री दुर्गा मों मंदिर के सामने परिसर एवं फुटपाथ में अण्डरग्राउण्ड नाली निर्माण व इण्टरलॉकिंग लगाने का कार्य।	4.16	0.41	1180	03 माह
3	वार्ड नं0 21 पीरखापुर में लालमनी गौतम के मकान से यासीन के मकान होते हुए तकवा स्कूल तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क मरम्मत का कार्य।	34.34	3.43	4052	03 माह
4	वार्ड नं0 21 पीरखापुर मो0 जलालपुर में असलम के मकान से परवेज आलम के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	1.23	0.12	1180	03 माह
5	वार्ड नं0 18 बाजार सलावत खां में मकबूल अहमद/शीबू के मकान के पास 01 अदद 05 एच0पी0 मिनी ट्यूबेल आपूर्ति एवं अधिष्ठापन तथा पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	4.62	0.46	1180	03 माह
6	वार्ड नं0 21 पीरखापुर में 01 अदद 05 एच0पी0 मिनी ट्यूबेल आपूर्ति एवं अधिष्ठापन तथा पेयजल पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	4.62	0.46	1180	03 माह
7	वार्ड नं0 12 घमहापुर में केशवा शहाबाबाद में अनरजीत यादव के मकान से दया यादव के मकान से होते हुए मोनू प्रजापति के मकान तक अण्डरग्राउण्ड नाली व इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	21.09	2.10	2488	03 माह

निविदा हेतु शर्तें:-

- सर्शत निविदा मान्य नहीं होगी और स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
- प्रत्येक निविदा के साथ निर्धारित धरोहर धनराशि एफडीआर/एन0एस0सी0/ट्रेजरी चलान के रूप में मूल प्रति निकाय में जमा करना अनिवार्य होगा तभी कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।
- बिना जमानत धनराशि के किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- प्रत्येक निविदा के साथ जी0एस0टी0 पंजीकरण व आयकर पंजीकरण की स्व0 प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना होगा।
- शासन द्वारा जारी दिशानिर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा।

6. कार्यो की ई-निविदा टू-बिड सिस्टम तकनीकी बिड व फाइनेन्सियलबिड में अलग-अलग अपलोड करना होगा।
7. ई-निविदा प्रक्रिया में तकनीकी बिड स्वीकृत होने के उपरान्त ही फाइनेन्सियलबिड पर विचार किया जायेगा।
8. ई-निविदा प्रक्रिया में फाइनेन्सियलबिड खुलने के उपरान्त 03 दिवस के अन्दर स्कैन किये हुए दस्तावेज का मूल प्रति कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा कि दशा में निविदा निरस्त समझी जायेगी।
9. निर्धारित तिथि व समय के उपरान्त कोई निविदा सबमिशन हेतु स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे। निर्धारित समय के उपरान्त प्राप्त होने वाली निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
10. निविदा स्वीकृति के पूर्व ठेकेदार को शासनादेश सं0 11593/नौ0-5-2021-142सा/2021 नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 07 जनवरी, 2022 के क्रम में ठेकेदार द्वारा प्राप्त निविदा की लागत कार्य हेतु अनुमानित लागत से 10 प्रतिशत तक कम प्राप्त हुई हो उनपर प्रफार्मेन्स सिक्योरिटी 03 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत के नीचे प्राप्त हुई हो तो उस दशा में प्रथम 10 प्रतिशत के लिए सिक्योरिटी 03 प्रतिशत ही रहेगी। परन्तु उसके पश्चात प्रत्येक 1.00 प्रतिशत नीचे दर हेतु 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त प्रफार्मेन्स सिक्योरिटी जमा करना होगा उक्त जमानत धनराशि अनुबन्ध के साथ जमा करने की बाध्यता होगी।
11. शासनादेशानुसार न्यूनतम निविदादाता को पालिका में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
12. प्रत्येक निविदादाताओं को निम्नलिखित शपथ पत्र को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा—
(क) 100/- रु0 के एकल न्यायिक स्टॉम पेपर पर प्रारूप टी-6।
(ख) 10/- रु0 के एकल गैर- न्यायिकस्टॉम पेपर पर निविदादाता का न तो कोई अपराधिक रिकार्ड है और न ही किसी गैर सरकारी संस्था में पंजीकृत है।
(ग) निविदा के साथ जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्गत टी-4 चरित्र प्रमाण पत्र एवं टी-5 साल्वेंसी का स्व-प्रमाणित प्रति।
(घ) निविदादाता का स्वायत्त निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र विभाग/राज्य सरकार/केन्द्र सरकार या उपयुक्त वर्ग में कोई भी सरकारी विभाग का वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र का स्व-प्रमाणित प्रति।
(ङ) निविदादाता का अधिकृत पता, ई-मेल आईडी, मोबाइल नं0, सम्पर्क पता उसके लेटर पैड पर विधिवत हस्ताक्षर किया हुआ प्रति।
13. किसी भी बार काउन्सिल में पंजीकृत होने वाले किसी भी निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने का अनुमति नहीं होगा।
14. निविदादाता को कार्यदेश प्राप्त होने के तिथि से एक सप्ताह के भीतर श्रम विभाग में अपना श्रम पंजीकृत करना अनिवार्य होगा।
15. उत्तर प्रदेश खनन विभाग द्वारा समय पर संशोधित 3333/86-2015/292/2015 दिनांक 15.10.2016 जारी रॉयल्टी कटौती के लिए लागू किया जायेगा।
16. सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी निविदा को अस्वीकृत करने तथा निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
17. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन0जी0टी0) द्वारा जारी कोई भी परिपत्र या निर्देश ठेकेदार पर लागू होगा।
18. कार्यदेश जारी होने के बाद कार्यस्थल पर कार्य करने वाले सभी मजदूरों का श्रम विभाग में पंजीकृत कराकर नगर पालिका में सूची प्रस्तुत करना होगा।
19. शासन/निदेशालय द्वारा दिये गये सभी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
20. शासन द्वारा निर्धारित मानक एवं विशिष्टियों के अनुसार कार्य गुणवत्ता पूर्वक करना होगा, जिसका सत्यापन जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति से कराने पर कार्य संतोष जनक होने पर ही भुगतान किया जायेगा।
21. शासन द्वारा धन उपलब्धता के आधार पर भुगतान किया जायेगा।
22. ठेकेदार आपदा संबंधित प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों का विधिवत पालन करेगा तथा कोविड-19 या किसी अन्य आपदा/महामारी के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किए दिशानिर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
23. मरम्मत/निर्माण कार्य की गठित जॉच समिति से सत्यापन कराये जाने के उपरान्त नामित नोडल अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी या उनके द्वारा नामित अधिकारी के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जायेगी व उसके उपरान्त ही भुगतान आदि की कार्यवाही की जायेगी।
24. कराये गये कार्य के पहले फिर बीच के कार्य व कराये जाने के बाद की फोटो कार्यालय अभिलेख/पत्रावली में सुरक्षित रखे जायेंगे।
25. प्रस्तावित निर्माण कार्य स्थल पर कार्य की लागत, सम्बन्धित ठेकेदार का नाम प्रस्तावित निर्माण कार्य का पूर्ण विवरण निर्धारित समय सीमा आदि का स्पष्ट अंकन के साथ एक बोर्ड लगाया जायेगा।

अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, भदोही


अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद, भदोही